



संदर्भ सं. राबैं. डोर/ 67 /पीपीएस- 09/ 2021-22
परिपत्र सं. राबैं. 81 / डोर – 27/ 2021

29 अप्रैल 2021

मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय/ महोदय

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए विशेष चल निधि सुविधा -2 (एसएलएफ-2) के तहत पुनर्वित्त

कोविड -19 महामारी से पिछले एक वर्ष में अभूतपूर्व रूप से एक के बाद एक कई समस्याएँ आई हैं और नाबार्ड ने इन बाधाओं को दूर करने हेतु और वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि समाज के वंचित वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की जा सके. जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थानों की चलनिधि बढ़ाने के लिए आगे आया है और उसने दिनांक 07 अप्रैल 2021 के अपने पत्र के माध्यम से एसएलएफ-2 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए रु.25000 करोड़ की राशि आबंटित की है.

2. तदनुसार, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को विशेष चलनिधि सुविधा -2 (एसएलएफ -2) दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त पर नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदान की जाएगी जो दिनांक 09 नवंबर 2020 के हमारे परिपत्र सं. 162 / डॉर -50 / 2020 और और दिनांक 12 अप्रैल 2021 के परिपत्र सं. No.63/डॉर-18/2021 के आधार माध्यम से जारी किए गए हैं.

3. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक से एसएलएफ-2 नाबार्ड द्वारा पहले आहरण की तिथि से एक वर्ष की

Refinance under Special Liquidity Facility-2 (SLF-2) for SCARDBs

Covid-19 pandemic has brought an unprecedented sequence of events in the last one year and NABARD has taken several measures to reduce disruptions and maintain unhindered flow of credit to financial institutions and thereby helping unreached segment of society to meet their credit needs. As you are aware, RBI has come forward to support in augmenting the liquidity position of the financial institutions and has made an allocation of Rs.25000 crore under SLF-2 vide their letter dated 07 April 2021 for refinancing RRBs, State Cooperative Banks, SCARDBs, SFBs and NBFC-mFIs.

2. Accordingly, refinance under Special Liquidity Facility-2 (SLF-2) will be extended to SCARDBs based on both ST and LT refinance policy guidelines issued vide our circulars No.162/DoR-50/2020 dated 09 June 2020 and No.63/ DOR-18/2021 dated 12 April 2021.

3. Since the SLF-2 from RBI is for a period of one year from the date of first drawl by NABARD and has to be repaid back within that time, the repayment

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

अवधि के लिए होता है और उसे इस अवधि के भीतर चुकाया जाना होता है, इसलिए इस सुविधा के लिए चुकौती अवधि अल्पावधि पुनर्वित्त के मामले में न्यूनतम एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ 12 माह अथवा एसएलएफ -2 की रिलीज़ के समय नाबार्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि होगी. दीर्घावधि पुनर्वित्त के मामले में, अपनी निधियों के योगदान के फलस्वरूप चुकौती अवधि 18 माह होगी. दीर्घावधि पुनर्वित्त के तहत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को शेष अवधि की आनुपातिक राशि इस अवधि के अंत में एकमुश्त रूप से चुकानी होगी. पुनर्वित्त की शेष राशि को एक या एक से अधिक किश्तों में मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट चुकौती अनुसूची के अनुसार चुकाना होगा.

4. इस सुविधा के तहत ब्याज दर समय-समय पर निर्धारित एल्को दरों के अनुसार होगी. एसएलएफ-2 सुविधा के तहत उपलब्ध निधियों पर वर्तमान दर 5.50% और उस पर लागू जोखिम प्रीमियम है. दीर्घावधि पुनर्वित्त के मामले में, नाबार्ड के अपने संसाधनों से प्रदत्त शेष पुनर्वित्त राशि पर उसी दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा जो सामान्य ऋण वितरण पर लागू होगी.

5. एसएलएफ-2 के तहत पुनर्वित्त प्रस्तावों की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जाँच की जाए और मंजूरी से पहले प्रधान कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाए.

6. यह परिपत्र सूचना केंद्र टैब के तहत नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर भी उपलब्ध है.

7. कृपया पावती भेजें.

period for this facility shall be 12 months with a minimum lock-in-period of one year or as stipulated by NABARD during release of SLF-2 in case of ST refinance and 18 months duration by augmenting with our own funds in case of LT refinance. SCARDBs have to repay the proportionate amount of the balance period in one lump sum at the end of such period for the borrowing under LT refinance and the remaining amount of refinance has to be repaid in one or more instalments as per repayment schedule stipulated in the sanction letter.

4. Interest rate under this facility shall be as per ALCO rates as decided from time to time. The current rate for the funds available under SLF-2 facility is 5.50% plus applicable risk premium. The balance amount of refinance provided from NABARD's own resources in case of LT refinance will be charged at a rate as applicable to normal lending.

5. The refinance proposals under SLF-2 may be scrutinized by concerned Regional Office and seek HO approval before sanction.

6. The circular is also available on NABARD website www.nabard.org under the tab information Centre.

7. Please acknowledge receipt.

भवदीय

(एल. आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबन्धक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org